न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास। 28/6/18

9/7/18
16/7/18
19/7/18
23/7
26/7
28/7
28/7

दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या 159/2018

प्रथम पक्ष :— 1. ...गा उपाध्याय, पत्नी चित्रा देवी सा० मारफारी प्रोजेक्शन रोड स्वाज चार्ट के पूरब तरफ कच्चा मकान, थाना मारफारी, जिला बोकारो, प्लॉट नं० 39, 40

— बनाम :—

द्वितीय पक्ष :— 1. अमरफ सौदागर पे० अलाउद्दीन सौदागर 2. सरफाज सौदागर पे० स्व० महिरउद्दीन सौदागर 3. सिदिक सौदागर पे० स्व० मोहिउद्दीन सौदागर 4. जब्बार सौदागर पे० स्व० जलालुद्दीन सौदागर 5. गफ्फार सौदागर पे० स्व० जलालुद्दीन सौदागर, 6. हैदरअली सौदागर पे० स्व० हबीब सौदागर 7. मो० हुसैन सौदागर पे० अब्दुल मजीद सौदागर सभी सा० भवानीपुर न्यू पिण्ड्राजोड़िया, थाना चास, जिला बोकारो।

कार्यवाही

चास, थाना अप्राथमिकी संख्या 03/18 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण:–

राजस्व ग्राम / मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)
चास	चास	44	593,594	0.33 डी०

चौहद्दी

उत्तर -- पडती जमीन
पूर्व— पडती जमीन
दक्षिण-- पडती जमीन
पश्चिम-- पडती जमीन

अत: सम्यक विचारोपरान्त दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 11.6.18 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष्य कर दिया जाए।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

11/6/18 सूचना का तामिला प्राप्त। द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है। S/C हेतु समय का आवेदन है। दिनांक 28/6/18 को रखें।

28/6/18 उभय पक्ष अनुपस्थित। पुन: द्वितीय पक्ष का पांच सदस्य का हाजरी है। दिनांक 9/7/18 को रखें।

S.D.M
Chas

S.D.M
Chas

9/7/18 द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 16/7/18 को रखें

S.D.M
Chas

16/7/18 द्वितीय पक्ष को दो सदस्य के ओर से S/C हेतु समय का आवेदन है। प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। S/C हेतु समय का आवेदन है।

Second party directed to file S/C on or before 19/7/18.

16/7/18

19/7/18 प्रथम पक्ष का एक सदस्य का हाजरी है।

Put up for Hearing on 23/7/18

19/7/18

23/7/18 प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। द्वितीय पक्ष के छः सदस्य का हाजरी है। दिनांक 26/7/18 को रखें

26/7/18 प्रथम पक्ष के वकालतनामा हाजरी है। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है। दिनांक 28/7/18 को रखें

S.D.M
Chas

S.D.M
Chas

…ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
28/7/18	द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष द्वारा List of document दाखिल किया। [illegible] [illegible] कागजात पेश हो। आदेश पारित किया गया। [signature] 28/7/18	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

<u>आदेश</u>

<u>विविध वाद संख्या–159/2018</u>

इस वाद की कार्यवाही चास थाना अप्राथमिकी संख्या 3/18 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है के अवलोकन उपरान्त दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए सुनवाई की गई।

<u>भूमि का विवरण</u>

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता संख्या	खेसरा/प्लॉट सं0	रकवा
चास	चास	44	-539,594	0.33 डी0

<u>चौहदी</u>

उत्तर – पड़ती जमीन दक्षिण – पड़ती जमीन
पूरब – पड़ती जमीन पश्चिम – पड़ती जमीन

प्रथम पक्ष अपने कारण पृच्छा के कहते है कि कार्यवाही में वर्णित भूमि मौजा भवानीपुर उर्फ सोलागीडीह, चास थाना, खाता नं0 44 प्लॉट नं0 593 एंव 594 कल रकबा 33डी0 जो खेवट 2/5 का हिस्सा है गत सर्वेखतियान में भवानीचरण झरियाहाट एंव अन्य के नाम से दर्ज है। अपने कब्जे में रहते ही कार्यवाही में वर्णित भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि को ग्राम गंधा के राजेन्द्र नाथ राय को केवाला डीड नं0 428 दिनांक 12.01.1948 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया। राजेन्द्र नाथ राय द्वारा कब्जा प्राप्त कर भूतपूर्व जमींदार को लगान देते आ रहे थे जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त प्रथम पक्ष सरकार को लगान देते आ रहें थे। जिसकी खरीदगी उपरान्त प्रथम पक्ष सरकार को लगान देते आ रहें है। राजेन्द्र नाथ राय अपने पीछे एकमात्र पुत्र सुरेश कुमार राय को छोड गये, जिसका उन्होने केवाला संख्या 7659 एंव 7660 दिनांक 13.8.91 द्वारा 33डी0 नक्शा एंव चौहदी अनुरुप श्रीमती विद्या देवी, पति स्व0 नागा उपाध्याय(प्रथम पक्ष) को बिकी कर दिया। जिसका दाखिल खारिज संख्या 13/95–96 एवं शुद्वि पत्र निर्गत उपरान्त सरकार को लगान देते आ रहे है। खरीदगी के समय से प्रथम पक्ष मिटटी का चाहदिवारी देकर कार्यवाही में वर्णित भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के मौसमी उपज बिना किसी व्यवधान के लगा रहे है।यह भी उल्लेख है कि विपक्षी के केवाला में नक्शा एंव चौहदी का अभाव है प्लॉट का रकवा जिससे भूमि खरीदा गया है नही दर्शाया गया है जबकि प्रथम पक्ष पूरी तरह से चिन्हित एंव कब्जे में है।

द्वितीय पक्ष अपने कारण–पृच्छा में कहते है कि वे 18.8.44 से ही पटटा संख्या 9690 जो भवानी चन्द्रा झरियाट द्वारा वासु सौदागर पिता दौलत सौदागर जो मौजा भवानीपुर उर्फ सोलागीडीह, खेवट नं0 44, प्लॉट नं0 593 सोहन गोराई अईल रकबा 1. 05 एकड़ एंव प्लॉट नं0 594 गोरिया रकवा 2.49 एकड़ कुल दो प्लॉट रकबा 3.45 एकड़ जिसमे से 21–1/2 डी0 का कब्जा हस्तान्तरित कर लगान रसीद संख्या जे0एन0/39–2315413, थोका नं0 234, खाता नं0 44, प्लॉट नं0 593 एंव 594 रकबा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	21–1/2 डी0 जिसका 10.5.2014 तक अद्यतन रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष अपने कारण–पृच्छा के कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि कार्यवाही में वर्णित भूमि मौजा भवानीपुर उर्फ सोलागीडीह, थाना चास, खाता नं0 44, प्लॉट नं0 593,594 जो खेवट नं0 2/5का हिस्सा है के खेवटधारी भवानी चरण झरियाट का पटटा सं0 9690 दिनांक 18.8.94 द्वारा द्वितीय पक्ष को निष्पादित हुआ है। इस आधार पर द्वितीय पक्ष का दावा बनता है। प्रथम पक्ष ने कंडिका 5 में उल्लेख किया है कि राजेन्द्र नाथ राय अपने पीछे एकमात्र पुत्र को छोड गये जो गलत है राजेन्द्र नाथ राय अपने पीछे दो पुत्र 1 सुरेश कुमार राय 2 नरेश राय को छोडकर मरे। राजेन्द्र नाथ राय ने 1948 में जबकि वासु सौदागर ने 1944 में ही उक्त भूमि को कय किया है इस प्रकार प्रथम पक्ष का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नही है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना संलग्न कारण–पृच्छा एंव अन्य कागजातों के अवलोकन उपरान्त यह स्पष्टया प्रतीत होता है कि मामला हक स्वत्ववाद एंव दखल से संबंधित है जिसका निपटारा इस न्यायालय में संभव नही है अतः उभय पक्षो को सक्षम न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एंव संशोधित 2/3/18 अनुमंडल दण्डाधिकारी, चास। 2/3/18 अनुमंडल दण्डाधिकारी, चास।
2	
261	

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.09.06 12.28.52 +05:30
Location: 192.168.1.3